

विवरण

02-09-2020

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार मुड़ल

उराँव, ग्राम - समसैरा को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के पीता मुड़ल

खेसरा द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम समसैरा, खाता सं० 251

वर्ष 0.78 ए० भूमि का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान मुड़ल खेसरा ने अपना लिखित

रूप में धारणा दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अस्तित्व में विषयगत

भूमि से संबंधित कोई कागजात नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार

एवं खेसरा संख्या दर्ज नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मुड़ल

उराँव, ग्राम - समसैरा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
समसैरा	67	251	—	0.78 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के आधार पर उपरोक्त जमाबन्दी को निरस्त किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,  
बोलबा।

अंचल अधिकारी,  
बोलबा।